



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-14082021-229009
CG-RJ-E-14082021-229009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3067]
No. 3067]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SRAVANA 22, 1943

रेल मंत्रालय

उत्तर पश्चिम रेलवे (इंजीनियरिंग विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, 12 अगस्त 2021

का.आ. 3315(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा—उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघराज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	अजमेर मंडल — समपारों पर निचले सड़क पुल (65 अदद)	राजस्थान

[ई.फा.सं. उ.प.रे.—एचक्यू0इंजी(एलएम)/25/2021]

सुरेन्द्र कुमार बंसल, मुख्य परियोजना निदेशक/स्टेशन विकास

MINISTRY OF RAILWAYS
NORTH WESTERN RAILWAY (ENGINEERING DEPARTMENT)
NOTIFICATION

Jaipur, the 12th August, 2021

S.O. 3315 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the table, with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

TABLE
Special Railway Project

S. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Ajmer Division - Road under bridges at level crossings (65 Nos.)	Rajasthan

[e-F. No. NWR-HQ0ENGG(LM)/25/2021]

SURENDRA KUMAR BANSAL, Chief Project Director/Station Development